

प्रेषक,

अखिलानन्द बहुमचारी ,

अनु सचिव,

उपरोक्त शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

**विषय:** शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3294/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी की न0पा0प0, लखीमपुर खीरी की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 11 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-774/2016/1643/69-1-16-32(अ0स0-37)/2016, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 द्वारा रु 0 564.13 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु 0 282.065 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु 0 282.065 लाख (रूपये दो करोड़ बयासी लाख छः हजार पाँच सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवरूपा का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूड़ा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूड़ा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूड़ा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूड़ा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूड़ा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होना पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूड़ा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपसान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।\*

संख्या-८ /2018/1838(1)/69-1-2017 तहिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कन्नौज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	लखीमपुर खीरी	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड नं०-०९ के मो० पंजाबी कालोनी (बरखेरवा) में शरद गुप्ता के मकान से बक्शी जी के मकान तक एवं दिनेश के मकान से बंशी के मकान तक इण्टरलाकिंग सइक एवं नाली निर्माण का कार्य।	27.14	13.57
2.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-२५ के मो० हिदायत नगर में अश्विनी के मकान से इयामू के मकान तक, संजय के मकान से पवन के मकान तक, उमानाथ के मकान से छोटे लाल के मकान तक तथा मनोज व रामकिशोर वाली गली में, राम प्रकाश के मकान से अमित के मकान तक तथा गजेन्द्र के मकान से धर्नपाल के मकान होते हुए महेवांग रोड तक इण्टरलाकिंग सइक एवं नाली निर्माण का कार्य।	136.86	68.43
3.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-२५ के मो० हिदायत नगर में इश्तियाक हुसैन के मकान से शाह आलम के मकान तक, मुनीश के मकान से इमान अली के मकान होते हुए मजहर के मकान तक, साबिर ड्राइवर के मकान से कमिल व महबूब के मकान होते हुए हुसैनी मस्जिद तक एवं शाशिद के मकान से रोज अली के मकान तक इण्टरलाकिंग सइक एवं नाली निर्माण का कार्य।	50.66	25.33
4.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-२५ के मो० हिदायत नगर में कल्लू फल वाले के मकान से बसीम के मकान तक एवं सरवरी बेगम के मकान से कर्याम भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग सइक एवं नाली निर्माण का कार्य।	24.98	12.49
5.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-२५ के मो० हिदायत नगर में बाबू फल वाले के मुकान से आरिफ भाई के मकान होते हुए छोटे नियां के मकान तक, आरिफ भाई के मकान से अमान भाई के मकान तक एवं अनीसा बेगम के मकान से हीरा पब्लिक स्कूल होते हुए उमर भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग सइक एवं नाली निर्माण का कार्य।	18.98	9.49
6.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-२५ के मो० हिदायत नगर में हुसैनी मस्जिद से लाल मस्जिद होते हुए फहीम के मकान तक एवं मुन्ना फल वाले के मकान से मोबीन फल वाले के मकान तक इण्टरलाकिंग सइक एवं नाली निर्माण का कार्य।	22.09	11.045
7.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-२५ के मो० हिदायत नगर में सुन्दर लाल के मकान से उमेश के मकान होते हुए अल्ताफ के मकान तक, अनीस के मकान से रोज अली के मकान होते हुए यासीन के मकान तक, बन्दे हसन के मकान से जब्बार के मकान होते हुए यानीन के मकान तक एवं अहमद के मकान से अनीस के मकान तक इण्टरलाकिंग सइक एवं नाली निर्माण का कार्य।	58.01	29.005
8.	तदैव	तदैव	वार्ड सं०-२५ के मो० हिदायत नगर में अजीत के मकान से	116.31	58.155

			कुरबान के मकान तक, पिन्टू के मकान से हाशिम के मकान तक, नईम के मकान से आशिक अली के मकान तक, युसुफ वाली रोड से सलीम के मकान होतु हुए शफीक के मकान तक, खलीलन खों के मकान से शौकत भाई के मकान तक, शमशुल के मकान से जाकिर के मकान तक, फर्याज के मकान से सनी के मकान तक, जमालुद्दीन के मकान से रईस के मकान तक, सामरीन के मकान से जाकिर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।		
9.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-25 के मो0 हिंदायत नगर में अकील के मकान से मुनीर के मकान तक, महतान के मकान से लियाकत के मकान होते हुए नन्कयूम के मकान तक, जाकिर के मकान से अलताफ के मकान तक एवं शकील के मकान से आतिफ के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	73.37	36.685
10.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-25 के मो0 हिंदायत नगर में चौंद बादू के मकान से रहीस अहमद के मकान तक व नदीम के मकान से यासीन सज्जी वाले के मकान होते हुए अब्बास के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	20.83	10.415
11.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-25 के मो0 हिंदायत नगर में राम सागर के मकान से सुन्दर लाल मौर्य के मकान होते हुए हरनाम सैनी के मकान व चन्द कुमार बादव के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	14.90	7.45
योग				564.13	282.065

(रूपये दो करोड़ बयासी लाख छ: हजार पाँच सौ मात्र)

  
(अनिलकुमार ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।

403-385